न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 109 / 2017

सरकार बनाम सरदाराराम पुत्र भानाराम, जाति–जाट, निवासी– भावठड़ी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 15.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वय अनुपस्थित। गैर सायल की ओर उसका पुत्र उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सरदाराराम पुत्र भानाराम, जाति–जाट, निवासी–भावठड़ी द्वारा रोही मौजा भावठड़ी की राजकीय भूमि ख.नं. 846 कुल रकबा 2.56 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अकित किया है कि गै.मु. जोहड़ की भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है, बल्कि अपनी खातेदारी भूमि में ही काश्त की हुई है। न्यायालय चाहे तो सीमाज्ञान करवा सकती है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 31 पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 5/- कायम कि.
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़